



सुधीर कुमार

भारत के सर्वांगीण विकास में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी

सहायक आचार्य— समाजशास्त्र विभाग, व्यापार मंडल पी.जी. कन्या महाविद्यालय, हनुमानगढ़ (राज.), भारत

Received-03.01.2024, Revised-10.01.2024, Accepted-15.01.2024 E-mail: Sudheer12884@gmail.com

सारांश: किसी भी समाज का सर्वांगीण विकास तभी संभव होगा, जब उसमें महिलाओं की भागीदारी हो। भारतीय समाज में महिलाओं की लगभग आधी आबादी है। देश की आधी आबादी की विकास की प्रक्रिया में भागीदारी मुहैया कराये बिना देश की समृद्धि, सुदृढ़ सामाजिक संरचना एवं सर्वांगीण विकास की परिकल्पना करना नितांत ही अव्यवहारिक होगा। जब चर्चा होती है महिलाओं की स्वतंत्रता की और पुरुषों से उनकी समानता की तब हम सोचने को विवश होते हैं समाज में उसकी दयनीय परिस्थिति को लेकर महिलाओं ने काफी समय के पश्चात् अपने आप को पहचाना है जब वे घर की चारदीवारी से बाहर आयेगी तभी ज्यादा सुखी रहेंगी। इसका कारण यह है कि घर से बाहर आकर उन्हें अपनी नई पहचान मिली है उसमें कुछ कर दिखाने का हासिल बढ़ा है। हम आज भी स्त्रियों के मामले में कुंठाग्रस्त हैं। हमारी पुरानी मान्यताएं, प्रतिमान, नियम और मर्यादाएं हैं, जो पुरुष द्वारा निर्मित हैं और जो महिला की स्वतंत्रता एवं समानता को आज भी बाधित करती हैं। धर्म, नैतिकता और सदाचार के नाम पर तरह-तरह के बन्धनों से उसके वैयक्तिक एवं सामूहिक विकास को रोकने का प्रयास किया गया है। भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार आवश्यक है, परन्तु इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना हो कि उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो वे स्वयं को भारतीय समाज से विलग न समझकर इसका ही एक हिस्सा समझें।

कुंजीभूत शब्द— सर्वांगीण विकास, आबादी, सुदृढ़ सामाजिक संरचना, परिकल्पना, अव्यवहारिक, चारदीवारी, सदाचार, प्रतिमान।

भारत की सौ करोड़ से ज्यादा आबादी में लगभग आधी महिलाएं हैं। इनमें से यदि छोटी बच्चियां और वृद्ध महिलाओं को निकाल दिया जाये तो भी लगभग बाईस करोड़ महिलाएं हैं जो काम रने योग्य हैं। शहरी क्षेत्रों में यद्यपि कामकाजी महिला-संख्या दिनों दिन बढ़ रही है अभी भी कामकाजी महिलाएं कुल संख्या का 8 प्रतिशत ही हैं। शेष स्त्रियां ही उत्पादन शक्ति का अभिन्न अंग हैं तब भी उन्हें मानवीय आधार पर जीने की सुविधाएं नहीं मिलती। पुरुषों की बराबरी में श्रम करते हुए भी ये निरंतर उपेक्षा की शिकार बनी हुई हैं। कुछ संगठित उद्योगों में कार्यरत श्रमिक स्त्रियों को छोड़कर अन्य जगहों पर वे अपने कानूनी अधिकारों से अन्मिध्य और वंचित हैं। इन्हीं कारणों से महिलाओं की महत्वकांक्षा बढ़ी है। वे चाहती हैं कि वह जानीपहचानी जाये। कल्पना चावला, अरुंधती राय, मेधा पाटेकर ने वह सब हासिल किया जो वह चाहती थी। यहाँ यह बात उन सभी महिलाओं की है जिन्होंने अपने-अपने स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

यहाँ पर एक तथ्य और विचारणीय है कि क्या महिलाओं का हर क्षेत्र में हर जगह दिखा जाना ही काफी है? क्या महिलाओं की समस्याएं केवल बाहर जाकर काम करने मात्र से दूर हो जाएंगी? उनके समक्ष क्या और कोई कठिनाई नहीं रही? सभी महिलाएं क्या कामकाज के अवसर पा रही हैं? ऐसा नहीं है— कठिनाइयों आज भी अनंत हैं, परन्तु परिस्थितियां बदलाव की सूचक हैं, बदलावों से रूढ़ियों एवं पूर्वाग्रह टूटते हैं। महिलाओं का बाहर निकलना मानो पुरुषों के लिए महिला ने स्वयं को छेड़छाड़ हेतु प्रस्तुत कर दिया। यह दृष्टिकोण किसी मानव जाति के लिए बहुत ही घृणित है जिसकी भत्सर्ना शब्दों में नहीं की जा सकती। पुरुषों द्वारा छेड़छाड़, यौनशोषण तथा उत्पीड़न के बाद भी आज की महिलाएं डरी नहीं और उन्होंने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए घरों से निकलना जारी रखा। कार्यशील महिला दोहरी चक्की के बीच पिसती हुई स्वयं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की लालसा, अपनी शैक्षिक उपलब्धि का उपयोग, अवकाश के क्षणों में कुछ कर दिखाने की इच्छा, स्वयं के लिए पद और प्रतिष्ठा तथा आर्थिक मजबूरी के लिए अधिकांश घर से बाहर निकल रही हैं। बाहर भी शालीनता का ताना बाना ओढ़वह न जाने कितने खूंखार भेड़ियों से घिरी स्वयं को असुरक्षित महसूस करती हैं। उसे कभी अपनी नौकरी छूटने का भय रहता है, तो कभी तरक्की के नाम पर उससे भारी कीमत चुकानी पड़ती है। प्रतिरोध करने पर उसे बदनामी झेलनी पड़ती है। चूँकि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है यहाँ पर पुरुष को ही वैदिक सम्यता के अनुरूप नारी से अधिक महत्ता दी जाती है। इस प्रकार दोहरे काम का दबाव, सामाजिक प्रतिष्ठा व सामाजिक बहिष्कार का भय महिलाओं को कमजोर बना देता है।

दूसरी ओर नगरों और महानगरों में शिक्षित कामकाजी महिलाओं की संख्या जिस तेजी से बढ़ी है उस अनुसार सुविधाओं के बावजूद उनकी जिन्दगी सहज नहीं हो पायी है। घर-बाहर से पड़ने वाले अनेक दबाव झेलते वे बाहर से उन्मुक्त दिखकर भी भीतर से निरंतर थकान व टूटन से ग्रस्त रहती हैं। इसलिए कई व्याधियों की शिकार भी होती रहती हैं। इसके पीछे निरंतर कार्य की थकान से अधिक मानसिक तनाव ही होता है, जिससे वे अक्सर उभर नहीं पाती।

यदि किसी भी महिला के तनावों का हम अध्ययन करें, तो उसके परिवार की आर्थिक स्थिति, रहन-सहन का स्तर, नौकरी करने कारण, पति-पत्नी का वैवाहिक सम्बन्ध, दहेज सम्बन्धी समस्याएं, बच्चा की संख्या, परिवार का आकार, विवाह-विच्छेद, पुनर्विवाह, बच्चों के पालन-पोषण की समस्याएं, कार्यरत महिलाओं के कार्यस्थल की घर से दूरी, आने-जाने के साधन, कार्य करने की अवधि, दशा तथा पारिवारिक सम्बन्धों का जटिल होना इत्यादि अनेकानेक कारण हैं, जिनके द्वारा महिलाओं को अपनी भूमिका घर व बाहर एक साथ निभानी जटिल हो जाती है, क्योंकि पारिवारिक माहौल में कभी-कभी पति के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का रवैया भी कुछ अलग-अलग सा रहता है। महिलाओं को घर का सदस्य होने के कारण घर और बाहर दोहरे दर्जे का व्यवहार सहना पड़ता है। परन्तु कभी-कभी



उसके मन में विचार आता है कि आखिरकार घर और बाहर दोनों मोर्चा पर सफलतापूर्वक युद्ध जीतने के पश्चात् भी उसे क्या मिल पा रहा है। बस दो वक्त की रोटी, पहनने के लिए कपड़ा तथा रोजगार से कुछ रुपये जिसका हिसाब-किताब भी उसे अपने पति को देना होता है क्योंकि वहीं तो उसका स्वामी है।

श्रमिक वर्ग की महिलाएं घर और बाहर दोनों में सक्रीय हैं। उस पर जो भी कमाती है अपने ऊपर उसका दसवां भाग भी खर्च नहीं कर पाती क्योंकि पुरुष प्रायः अपनी कमाई अपने ऊपर ही फेंक देता है। घर खर्च का जिम्मा वे कम ही लेते हैं। घर का और बच्चों का खर्च अधिकतर इन्हें ही चलाना पड़ता है। अनेक परिवारों में तो पति स्त्री का पैसा, जेवर आदि छिनकर जुए और नशाखोरी में उड़ा देते हैं। स्त्री के मना करने पर या यों ही जरा सी बात पर पति द्वारा शारीरिक प्रताड़ना आम बात है।

राजा राम मोहन राय के स्त्री सुधारक आन्दोलन से लेकर वर्तमान काल तक भारतीय महिलाओं की स्थिति में काफी परिवर्तन हुए हैं। अपने ही बल पर महिलाओं ने अपनी स्थिति को सुधारा है और समाज में अपनी एक विशेष पहचान बनायीं है कभी पुरुष समाज की चुनौतियों का सामना करके और कभी महिलाओं द्वारा ही स्थापित की गई बाधाएं पार करके जोकि सराहनीय और प्रशंसनीय है। परन्तु उसकी स्थिति से जो सुधार या परिवर्तन आये हैं क्या वे पर्याप्त हैं? क्या वे परिवर्तन सकारात्मक हैं? क्या वे परिवर्तन सामायिक हैं? महिलाओं के बारे में पुरुष प्रधान समाज में अभी तक स्पष्ट व ठोस धारणा नहीं बन पायी। हम आज भी स्त्रियों के मामले में कुंठाग्रस्त हैं। हमारी पुरानी मान्यताएं, प्रतिमान, नियम और मर्यादाएं हैं जो पुरुष द्वारा निर्मित हैं और जो महिला की स्वतंत्रता एवं समानता को आज भी बाधित करती हैं। धर्म, नैतिकता और सदाचार के नाम पर तरह-तरह के बन्धनों से उसके वैयक्तिक एवं सामूहिक विकास को रोकने का प्रयास किया गया है।

आज वे राजनीति, समाज सुधार, शिक्षा, पत्रकारिता, साहित्य, विज्ञान, उद्योग, व्यावसायिक प्रबंधन, शासन प्रशासन, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, पुलिस, सेना, कला संगीत, अध्यात्म, खेलकूद आदि क्षेत्रों में पुरुषों के साथ अपनी उपस्थिति बना रही है, उनके कंधे से कंधा मिलकर कार्य कर रही है। एक और तो परिदृश्य उत्साहवर्धक है परन्तु दूसरी और दृष्टिपात करें तो दिखाई देगा, कि आज भी लाखों-करोड़ों महिलाय गरीबी, शोषण एवं उत्पीड़न की शिकार हैं।

महिलाएं भारतीय कार्यबल का एक अभिन्न अंग हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार महिलाओं की श्रम भागीदारी दर 2001 में 25.63 प्रतिशत थी। यह 1991 में 22.27 प्रतिशत और 1981 में 19.67 प्रतिशत की तुलना में वृद्धि है। जहां मिला श्रम भागीदारी दर में वृद्धि रही है, वहीं यह पुरुष श्रम भागीदारी दर की तुलना में लगातार उल्लेखनीय रूप से कम होती जा रही है। 2001 में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम भागदारी 30.79 प्रतिशत थी वहीं शहरी क्षेत्रों में 11.88 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं मुख्य रूप से कृषि कार्यों में शामिल होती हैं। शहरी क्षेत्रों में लगभग 80 प्रतिशत महिला श्रमिक संगठित क्षेत्रों में काम करती हैं जैसे घरेलू उद्योग, छोटे व्यापार और सेवाएं तथा भवन निर्माण। 2004-05 के दौरान देश में कुल श्रम-शक्ति का अनुमान 455.7 मिलियन लगाया गया है जो विभिन्न राज्यों के लिए एम्प्लॉयमेंट/अनएम्प्लायमेंट और जनसंख्या फैलाव पर एनएसएस 61वां राउंड सर्वे पर आधारित है। महिला श्रमिकों की संख्या 146.68 मिलियन थी या कुल श्रमिकों का केवल 32.2 प्रतिशत थी। इन महिला श्रमिकों में लगभग 106.89 मिलियन या 72.8 प्रतिशत कृषि कार्य करती थी यहां तक कि पुरुष श्रमिकों में उद्योग की भागीदारी केवल 48.8 प्रतिशत था। ग्रामीण श्रम-शक्ति में उद्योग की कुल भागीदारी लगभग 56.6 प्रतिशत थी।

भारतीय महिला का बाहरी कार्य क्षेत्र में पदार्पण करना (गाँवों में कृषि सम्बन्धी कार्य छोड़ कर) समाज की दृष्टि में अभी कुछ दशक पहले तक वांछनीय नहीं था, लेकिन स्वतन्त्र भारत में शिक्षा के प्रसार द्वारा वैज्ञानिक सोच ने उन्हें रुढ़ियों को तोड़ कर आत्मनिर्भर बन कर जीने की प्रेरणा दी। फिर कुछ पाश्चात्य प्रभाव ने भी महिलाओं को प्रबुद्ध आत्म-चेतना के साथ-साथ विचारों की उन्मुक्तता सौंपी। इन कारणों में सबसे बढ़ कर दो कारण ऐसे हैं, जिन्होंने वास्तविक अर्थों में भारतीय जमीन से जुड़ी ग्रामीण और शहरी सोच की दिशा ही बदल दी और जिसके कारण स्त्री आर्थिक हैसियत में पुरुषों की समानान्तर रेखा बन गई। पहला है दहेज के लिए की जाने वाली क्रूरतम हत्याओं की अनवरत श्रृंखलाएं और दूसरा कारण है- महँगाई की खतरे की निधान से ऊपर पहुँचती बेतहाशा बेलगाम वृद्धि जिसने सभी वर्गों को प्रभावित किया विशेष रूप से मध्य वर्ग की तो आर्थिक रीढ़ ही तोड़ दी।

महिलाओं की औसत सैलरी गाँवों में 201 और शहरों 366 रूपया प्रतिदिन है, जबकि शहरों के मुकाबले गाँवों में महिलायें अधिक संख्या में कार्यरत हैं। गाँवों में 51 प्रतिशत रोजगार महिलाओं को मनरेगा से मिला है। कामकाजी महिलाओं में 20 प्रतिशत संगठित क्षेत्र में और 17 प्रतिशत पब्लिक सेक्टर में और 24 प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं। कुल मिला कर अब तो विकासशील भारत के निर्माण में महिलाओं की ऊर्जा शक्ति का इतना बड़ा भाग क्रिया शील है कि यदि इस शक्ति को घटा कर बचे भारत को कोई समीकरण हल करें, तो शून्य ही बच सकेगा। आज महिला वैज्ञानिक, लेखक, पत्रकार, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, व्यावसायी, फैशन डिजाइनर, आर्किटेक्ट जैसे सम्मानित क्षेत्रों में हजारों की संख्या में कार्यरत हैं। यहाँ तक कि भारत की शीर्षस्थ प्रशासनिक सेवाएँ आई. ए.एस. व पी.सी.एम. में यह संख्या कम नहीं। राजनैतिक परिदृश्य में तो भारतीय महिलाओं ने विश्व में अपना परचम लहराया है और इतिहास में वे अपना स्थान सदैव के लिए आरक्षित कर चुकी हैं।

महिलाएँ जब घर से बाहर कार्य करती हैं, तो उन्हें 6 से 10 घंटों तक बाहर रहना पड़ता है। इस अवधि में उनकी गृहव्यवस्था व बच्चों का पालन पोषण शिक्षा-दीक्षा जो भारत में मात्र गृहिणी के हिस्से का ही कार्य माना जाता है, बहुत प्रभावित होता है। काम से वापस आयी महिला इतनी थकी, बोझिल और असहाय होती है कि तुरंत कोई भी अप्रिय स्थिति झेलना या घरेलू कार्य करना या असावधानियों के लिए उपालम्भ सुनना उससे संभव नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में परिवार चाहे संयुक्त हो या एकल जहाँ सारी अपेक्षाएँ सिर्फ उसी से रखी जाती हैं, जिससे तनाव बढ़ता ही है। कभी-कभी यह तनाव कलह की उसम सीमा तक चला जाता हैजब संयुक्त



परिवार विघटित होकर एकल में और एकल परिवार टूट कर सम्बन्ध विच्छेद की प्रक्रिया में बिखरने लगते हैं। ऐसी स्थिति में माँ-बाप के बीच बढ़ती दूरियाँ बच्चों के भविष्य को अधर में त्रिशंकु सा असहाय छोड़ देती है।

बाहर निकलने पर पुरुष सह कार्मियों से परिचय व वार्तालाप भी बेहद सहज और स्वाभाविक है किन्तु स्वस्थ मानसिकता का पति भी प्रायः ऐसे मौकों पर सामान्य नहीं रह पाता और बीमार मानसिकता क लोग तो बिना किसी तथ्य या दूरदर्शिता के ही अपनी पत्नी के वरित्र हनन पर उतर आते हैं और जब घर के लोग ही इज्जत चौराहे पर नीलाम करने की साजिश में लगे हो तो बाहरी व्यक्ति की व्यंग्योक्तियों का प्रतिकार ही कौन करेगा? ऐसी घटनाएँ भारत में ही ज्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ छोटे शहरों या कस्बों में महिला का बाहर नौकरी करना अभी भी किसी अजूबे से कम नहीं है। इस सतही सोच के साथ महिलायें प्रायः सामंजस्य नहीं बिठा पाती हैं और कुंठा अवसाद का अनजाने ही शिकार होने लगती हैं। इसी तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण जब उसकी कार्य क्षमता पर ग्रहण लगता है तो यही समाजयही परिवार और सहकर्मी आदि उसे निकम्मा, कामचोर और अपने औरत होने का फायदा उठाने वाली कह कर उसे और भी गहरी उलझनों में फंसा देता है। इस तरह का फतवा जारी करने से पहले कोई भी उसके स्तर पर उसकी समस्या को सहानुभूति पूर्वक समझना भी नहीं बाहता।

महिलाओं के साथ आर्थिक भेदभाव विशेषतः- कृषि मजदूरी के क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। यह समस्या महिलाकर्मों की सार्वभौमिक समस्या बन चुकी है। भले ही वह पुरुषों से अधिक लगन व परिश्रम से कार्य करे, लेकिन सुविधावादी होने का उन्हें पक्षपात पूर्ण तर्क देकर सदा उत्पीडित किया जाता है। वर्ष 2016 में किये गये सर्वेक्षण के बाद भारत द्वारा जारी किये गये आधिकारिक आकड़ों के अनुसार भारत के श्रम-बल (ग्रामीण और शहरी को मिलाकर) में महिलाओं की कुल भागीदारी 27.4 प्रतिशत है। शहरी श्रम बल में महिलाओं को अनुपात 24 प्रतिशत है जबकि ग्रामीण श्रम बल में उनका अनुपात 29 प्रतिशत है। सर्वेक्षण के अनुसार, 71 प्रतिशत निरक्षर महिलाएं घरेलू कार्यों को वरीयता देती हैं। औसत रूप से शहरी भारत में 76 प्रतिशत महिलाएं घरेलू कार्यों में संलग्न हैं, जबकि ग्रामीण-भारत में ऐसे कार्यों में संलग्न महिलाओं का 71 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्र में वेतन पाने वाली महिलाओं की दर अधिक है जबकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अनौपचारिक श्रम में संलग्न हैं। अधिकांश ग्रामीण महिलाएं कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। देश में 90 प्रतिशत महिला श्रमिक खेतिहर मजदूर या षक हैं। मनरेगा योजना में भूमि का समतलीकरण और अपने ही खेतों में तालाब खोदने के लिए भी महिलाओं को भुगतान किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप महिलाएं इस योजना की और आकर्षित हुई हैं। हाल ही में रोजगार पर सांख्यिकीय मंत्रालय की ओर से जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017-18 के मुताबिक, देश में आजादी के सात दशकों के बाद पहली बार नौकरियों में शहरी महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से अधिक हो गयी है। शहरों में कुल 52.1 प्रतिशत महिलाएं और 45.7 पुरुष कामकाजी हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं नौकरियों में अभी भी पुरुषों से पीछे हैं, हालाकि पिछले छः वर्षों में उनकी हिस्सेदारी दुगुना हुई है और यह 5.5 प्रतिशत से 10.5 प्रतिशत तक पहुँच गयी है। शहरी कामकाजी महिलाओं में से 52.1 प्रतिशत नौकरी पेशा, 34.7 प्रतिशत स्वरोजगार तथा 13.1 प्रतिशत अस्थायी श्रमिक हैं। इससे पहले 2011-12 में हुए NSSO सर्वे में शहरी नौकरी पेशा महिलाओं का प्रतिशत 42.8 प्रतिशत था। पिछले छः वर्षों में अब महिलाओं की स्थिति बहुत बदली है।

इतना अधिक प्रतिशत होने के बावजूद चूँकि महिला अपने हितों और अधिकारों के प्रति खुद निस्वेष, उदासीन, उपेक्षा पूर्ण रवैया अपनाती हैं। अतः श्रम कानून या अन्य दूसरे प्रयास महिला संगठनों के नारे उठाने प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो पाते। यह भी एक खुला तथ्य है कि आर्थिक स्तर के अतिरिक्ति शारीरिक स्तर पर भी महिलाओं का बहुत क्रूर शोषण होता है। ब्लैक मेलिंग, घमकी, लालच या कोई अन्य मजबूरी उन्हें स्वयं भी कभी-कभी ऐसे केसों में आगे बढ़ने के लिये बाध्य कर देती है, लेकिन तब भी केवल गुनहगार उन्हें ही माना जाता है। पुरुष फिर अपने सत्ताधीश होने का फायदा उठाते हुए साफ बच निकलता है। कुछ शीघ्र काम पर वापस आने के लिए बाध्य कर देती है। सेवा-प्रतिष्ठानों में उनके स्वास्थ्य की देख-रेख, जाँच के लिए प्राथमिक स्तर पर भी सुविधा सुलभ नहीं होती फलस्वरूप पैसाव ईलाज के अभाव में महिला श्रमिक घुट-घुट कर मरने को विवश रहती हैं।

निष्कर्ष- नौकरी पेशा महिलाओं के पतियों को अपना दृष्टिकोण उदार बनाना पड़ेगा, रूढ़िवादिता, व्यंग्य, सहयोग केवल भविष्य को अंधे कुएं में ढकेल सकता है, रोडे अटकाने की अपेक्षा आत्मालोचन करे। सहधर्मिणी का सहयोग करें और भारतीय पति की परम्परागत इमेज को तोड़ कर नई परिस्थितियों में स्वयं को संदर्भित करे। भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार आवश्यक है, परन्तु इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना हो कि उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, वे स्वयं को भारतीय समाज से विलग न समझकर इसका ही एक हिस्सा समझें। भारतीय समाज में आज भी ऐसी कई महिलाएं हैं, जो कुशल होने के बावजूद भी हर क्षत्र में पिछड़ जाती हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इन महिलाओं को परिवर्तन की धारा में लाया जाये और भारत को श्रेष्ठतम बनाया जाये। समाज में अपनी मानसिकता में बदलाव लाते हुए स्त्री भाक्ति को पहचानने की जरूरत है। समाज को अपने भीतर दबकर बैठी स्त्री को जगाने को जरूरत है, तभी वह सामने बैठी स्त्री को सम्मान और उसके काम को महत्व दे पायेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. लम्ही, मार्च 2017 पृष्ठ संख्या 09.
2. बोहल शोध मंजूषा, भिवानी के अंक मार्च 2020 के पृष्ठ संख्या 07 भाग तीन मै से।
3. आलोचना की सामाजिकता, पाण्डेय, पृष्ठ संख्या 16.
4. नारी जीवन चित्रण साहित्य एवम् वाक दृष्टि के विभिन्न अंकों से।
